



यु.ओ. नोट


विषय:- दिनांक-23.10.2018 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित मगर शीर्षक "अवैध कब्जे चिन्हित करने के आदेश थे, 16 में से 8 उपायुक्त फील्ड में पहुंचे ही नहीं, 30 अफसरों ने सिर्फ 8 नोटिस दिए मगर 15-20 शिकायतें तो रोजाना आ रही है के संबंध में।

सन्दर्भ:-राजस्थान सम्पर्क परिवाद सं-11181494717582 दिनांक-24.11.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत प्रस्तुत की जिसमें दिनांक-23.10.2018 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित मगर शीर्षक "अवैध कब्जे चिन्हित करने के आदेश थे, 16 में से 8 उपायुक्त फील्ड में पहुंचे ही नहीं, 30 अफसरों ने सिर्फ 8 नोटिस दिए मगर 15-20 शिकायतें तो रोजाना आ रही है के संबंध में शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल राजस्थान सम्पर्क पर ऑनलाईन दर्ज करवायी गई के संबंध में।

प्रकरण में पूर्व में उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार उपायुक्त जोन-07 एवं तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर अवैध निर्माण को चिन्हित कर भूस्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुये। जिसमें उपायुक्त जोन-07 के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण कर कुल-10 अवैध निर्माण चिन्हित किये गये, जिसकी उपायुक्त जोन-07 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूस्वामीयों को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32,33 के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कर्ता के विरुद्ध माननीय न्यायालय क.सं-01 जविप्रा, जयपुर में चालान पेश किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


मुकेश कुमार
प्रवर्तन अधिकारी जोन-07
जविप्रा, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक

जविप्रा, जयपुर

यु.ओ. नोट पत्र क्रमांक-जविप्रा/प्र.अ/जोन-07/2019/डी- 48

दिनांक- 15/04/19

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - (91-141-2575151.एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फ़ैक्स- (91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)